

C.F-10-4-13

Ruk

निगरानी प्र.क. /2013

प्रस्तुती दिनांक 22/03/2013

(68)

रा.रा. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, म.प्र.

ग्वालियर

R-1244-88A/13

रतनलाल पिता हरिरामजी तेली

उम्र - वयस्क, धंधा - व्यापार,

निवासी - शनि गली, धार म.प्र.

.....प्रार्थी

श्री रितेश भण्डारी

विरुद्ध

अभिभाषक द्वारा

आज दिनांक

22-3-13 को

इशोर केम्प पर

उत्तुत

G/M

22-3-13

1. तेजकरण पिता हरिरामजी तेली

निवासी - ग्राम मुरडका तह. बदनावर जिला धार

2. दीपक पिता गोवर्धन तेली

निवासी - लाबरिया तह. सरदारपुर जिला धार

3. मधूबाई पिता गोवर्धन पति नंदराम

निवासी - छायेन तह. बदनावर जिला धार

4. पप्पूबाई पिता गोवर्धन पति कालू

निवासी - नांदरा तह. देपालपुर जिला इन्दौर

5. संगीताबाई पिता गोवर्धन पति राकेश

निवासी - भुवानिया तह. व जिला धार

.....प्रतिप्रार्थीगण

वाद बंटवारा बाबद

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959



माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व क्षेत्र बदनावर जिला धार पीठासनी अधिकारी श्री अरुण कुमार रावल द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 32/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2013 से असंतुष्ट व दुखित होकर प्रार्थी यह निगरानी आवेदन पत्र निम्न तथा अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1244-पीबीआर/13

जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-11-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री राजेश तिवारी, अभिभाषक एवं अनावेदक पक्ष की ओर से श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-1-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p> A32</p>	<p> अध्यक्ष</p>